रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122021-232198 CG-DL-E-28122021-232198

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 727] No. 727] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2021/पौष 7, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2021/PAUSA 7, 1943

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2021

सा.का.िन.886 (अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 निम्निलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्याक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन, टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा comments-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं. पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा:

#### प्रारूप नियम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (...... संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है।
- (2) इन नियमों में अन्य रुप से यथा उपबंधित के सिवाय ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

7603 GI/2021 (1)

- 2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 93, के उप-नियम (1)(क), उप-नियम (IX) में, तालिका में शब्दों "खींचने वाले ट्रेक्टर के साथ विशिष्ट लम्बाई वाले यांत्रिक ट्रेलर" को "एन3 श्रेणी के ट्रक/ट्रेक्टर के साथ विशिष्ट लम्बाई वाले यांत्रिक ट्रेलर" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 3. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 93, के उप-नियम (2), उप-उप-नियम (2), में व्याख्या में अंकों और शब्दों के स्पष्टीकरण में.
- "(i) केवल दो धुरी वाले वाहन के मामले में, जिनमें से एक स्टीयरिंग एक्सल नहीं है, उस धुरी का केंद्र बिंदु; या
- (ii) केवल तीन धुरी और केवल आगे की धुरी स्टीयरिंग एक्सल है,वाले वाहन के मामले में सबसे पीछे की धुरी (ओं) को"निश्चित" या "खीचने योग्य (लिफ्ट एक्सल) करने के बावजूद सबसे पीछे वाली धुरी का केंद्र बिंदु;
- (iii) केवल तीन धुरी, जिसमें आगे की दो धुरी स्टीयरिंग एक्सल है, वाले वाहन के मामले में सबसे पीछे की धुरी (ओं) को"निश्चित" या "खीचने योग्य (लिफ्ट एक्सल) करने के बावजूद सबसे पीछे वाली धुरी का केंद्र बिंदु;
- (iv) चार या चार से अधिक धुरी वाले वाहन के मामले में; सबसे पीछे की धुरी (ओं) को"निश्चित" या "खीचने योग्य (लिफ्ट एक्सल) करने के बावजूद सबसे पीछे वाली धुरी का केंद्र बिंदु हो;" को
- ''(ख)(i) केवल दो धुरी वाले वाहन के मामले में, जिनमें से एक स्टीयरिंग एक्सल नहीं है, उस धुरी का केंद्र बिंदु; या
- (ii) केवल तीन धुरी और केवल आगे की धुरी स्टीयरिंग एक्सल है,वाले वाहन के मामले में सबसे पीछे की धुरी (ओं) को"निश्चित" या "खीचने योग्य (लिफ्ट एक्सल) करने के बावजूद सबसे पीछे वाली धुरी का केंद्र बिंदु;
- (iii) केवल तीन धुरी, जिसमें आगे की दो धुरी स्टीयरिंग एक्सल है, वाले वाहन के मामले में सबसे पीछे की धुरी (ओं) को"निश्चित" या "खीचने योग्य (लिफ्ट एक्सल) करने के बावजूद सबसे पीछे वाली धुरी का केंद्र बिंदु;
- (iv) चार या चार से अधिक धुरी वाले वाहन के मामले में; सबसे पीछे की धुरी (ओं) को"निश्चित" या "खीचने योग्य (लिफ्ट एक्सल) करने के बावजूद सबसे पीछे वाली धुरी का केंद्र बिंदु हो;"

द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 125जे के बाद, 125के को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

# "125 के. सड़क ट्रेन के लिए सुरक्षा आवश्यकताएँ

1 मार्च, 2022 को और से, रोड ट्रेन के टाईप अनुमोदन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया, समय-समय पर संशोधित एआईएस-113 के अनुसार होगी, जब तक कि भारतीय मानक अधिनियम ब्यूरो 2016 (2016 का 11)के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है।"

[सं.आरटी-11028/02/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपधारा (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 590 (अ), दिनांक 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.िन. ........(अ), दिनांक ..........द्वारा संशोधित की गई थी।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2021

**G.S.R.** 886(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall

be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

#### **DRAFT RULES**

- 1. Short Title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2021.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989, in Rule 93, in sub-rule (1) (A), in sub-rule (IX), in the Table, the words "\*Mechanical trailer with exceptional length with a puller tractor" shall be substituted by "\*Mechanical trailer with exceptional length with N3 category truck/tractor".
- 3. In Central Motor Vehicle Rules, 1989, in Rule 93, in sub-rule (2), in sub-sub-rule (2), in Explanation, the figures and words
- "(i) In the case of a vehicle having only two axles, one of which is not a steering axle, the centre point of that axle; or
- (ii) in the case of a vehicle having only three axles and the front axle is the only steering axle, the centre point of the rearmost axle, irrespective of rear axle(s) being —fixed or —retractable (lift axle);
- (iii) in the case of a vehicle having only three axles where two front axles are steering axles, the centre point of the rearmost axle, irrespective of rear axle(s) being —fixed or —retractable (lift axle);
- (iv) in the case of a vehicle having four or more than four axles; the centre point of the rearmost axle, irrespective of rear axle(s) being —fixed| or —retractable (lift axle); "

shall be substituted by

- "(B) (i) In the case of a vehicle having only two axles, one of which is not a steering axle, the center point of that axle; or
- (ii) in the case of a vehicle having only three axles and the front axle is the only steering axle, the centre point of the rearmost axle, irrespective of rear axle(s) being "fixed" or "retractable" (lift axle); or
- (iii) in the case of a vehicle having only three axles where two front axles are steering axles, the centre point of the rearmost axle, irrespective of rear axle(s) being "fixed" or "retractable" (lift axle);or
- (iv) in the case of a vehicle having four or more than four axles; the centre point of the rearmost axle, irrespective of rear axle(s) being "fixed" or "retractable" (lift axle);or ".
- 4. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, after rule 125J, 125K shall be inserted, namely:

# "125K. Safety Requirements for Road Train

On and from the 1<sup>st</sup> day of March, 2022, the procedure for type approval and certification of Road Train, shall be in accordance with AIS-113, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016)."

[No. RT-11028/02/2021-MVL]
AMIT VARADAN, Jt. Secy.

**Note.-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. \_\_\_\_(E) dated \_\_\_\_\_.